

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) नादौन का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 9/2006 से 3/2015

1 प्रारम्भिक:—

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या—TPT-F(1)-3/2000-e-Governance दिनांक 3.9.2005 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की परिवहन विभाग से सम्बन्धित ई-गवर्नेन्स सोसाईटीयों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नादौन के अवधि 9/2006 से 3/2015 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, इस विभाग के श्री जितेन्द्र सिंह (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 28.7.2015 से 22.8.2015 के दौरान तथा श्री जीवन कुमार (क0ले0प0) सहित दिनांक 19.8.2015 से 22.8.2015 के दौरान नादौन में किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि की आय तथा व्यय की जांच के लिए निम्नानुसार मासों का चयन किया गया:—

वर्ष	आय	व्यय
2006—07	12/2006	—
2007—08	07/2007	02/2008
2008—09	01/2009	06/2008
2009—10	03/2010	12/2009
2010—11	11/2010	11/2010
2011—12	07/2011	12/2011
2012—13	01/2013	07/2012
2013—14	01/2014	06/2013
2014—15	01/2015	03/2015

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित उपमण्डल अधिकारी सोसाईटी सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री बलबीर ठाकुर	9/2006 से 28.4.2008
2	श्री अरुण भारद्वाज	28.4.2008 से 3.3.2009
3	श्री आर0आर0 वर्मा	4.3.2009 से 31.1.2012
4	श्री विनय ठाकुर	8.5.2012 से 31.1.2013
5	श्री बलवीर ठाकुर	1.2.2013 से 1.3.2014
6	श्री कर्म सिंह	1.3.2014 से 30.11.2014
7	श्री अनिल कुमार	1.1.2015 से 31.3.2015

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा जो सूचना प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

(ङ) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	4	रोकड़ बही तथा लेखों का निर्माण नियमानुसार न करना	विवरण पैरे में दिया गया है
2	8	राजकीय कोष में राशि का कम जमा करवाया जाना	4.62
3	9	मोबाईल चार्जिज के रूप में अनियमित भुगतान करना	0.47
4	10	सोसाईटी द्वारा ऋण की राशि को वापिस प्राप्त न करना तथा ऋण रजिस्टर तैयार न करना	0.10

2 अंकेक्षण शुल्क

ई—गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) नादौन के अवधि 9/2006 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹22200/— आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-09 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु, अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 140/2015 दिनांक 22.8.2015 द्वारा (आर0एल0ए0) नादौन से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा मास 9/2006 से कार्य करना आरम्भ किया है। (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा परिवहन की गतिविधियों की अवधि 9/2006 से 4/2012 तक की रोकड़ बही विहित प्रपत्र पर तैयार नहीं की गई है तथा मास 5/2012 से रोकड़ बही का रख रखाव आरम्भ किया गया है। आर0एल0ए0 (नादौन) द्वारा प्रस्तुत परिवहन की गतिविधियों की अवधि 9/2006 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं

(ख) ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नादौन की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को अन्तशेष ₹446954/— था, परन्तु वास्तव में सोसाईटी के पास अन्तशेष की ₹460044/— थी, जिसका विवरण निम्नानुसार था:—

1	ओ0बी0सी0 नदौन के बचत खाता संख्या 01682151004275 में जमा राशि	457643
2	हस्तगत राशि	2401
	योग	460044
	अन्तर 460044—446954	₹13090

उक्त अन्तर की ₹13090/— का विवरण निम्नानुसार है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर भी संलग्न है।

1	राशि जो बैंक में जमा करवाई गई परन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई	₹13947
2	माईनस राशि जो रोकड़ बही में दर्ज है परन्तु बैंक में जमा नहीं की गई	(-) ₹857
	शुद्ध अन्तर	₹13090

4 रोकड़ बही तथा लेखों का रख रखाव नियमानुसार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 एफ (1) 3/2000 ई0 गवर्नेन्स दिनांक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव उचित प्रकार से करते हुए प्रतिवर्ष आय व व्यय विवरणी (Income & Expenditure Statement) तथा बकाया विवरणी (Balance Sheet) तैयार की जानी अपेक्षित है, परन्तु सोसाईटी द्वारा अवधि 4/2012 तक की रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया तथा मास 5/2012 से भी जिस रोकड़ बही का रख रखाव किया गया है वह भी सही ढंग से नहीं किया गया और न ही Ledger बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया गया है तथा प्रत्येक मास के अन्त में आय व व्यय विवरणी तैयार नहीं की गई थी। उक्त के अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष (Income & Expenditure Statement) तथा (Balance Sheet) भी तैयार नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में किए गए इन्द्राजों का सत्यापन सक्षम अधिकारी से करवाया जाए तथा प्रत्येक मास में प्राप्त की गई कुल आय तथा मास के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर व हस्तगत राशि से सम्बन्धित विवरण/प्रमाण देकर बैंक में जमा राशि का भी विवरण भी दिया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही के शेष का बैंक के शेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा नियमों की अनुपालना करते हुए अविलम्ब रोकड़ बही का निर्माण सही ढंग से करके सम्बन्धित लैजर, आय तथा व्यय विवरणी, बैलेन्स शीट तथा बैंक समाधान विवरणी भी समय-समय पर तैयार की जाए व जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए।

5 विविध आय की ₹65711/- के स्रोत को न दर्शाने बारे तथा "सारथी" तथा "वाहन" शीर्षों के अतिरिक्त अन्य आय की राशियों को भी बैंक में जमा करने बारे

(क) (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा परिवहन की गतिविधियों की अवधि 9/2006 से 4/2012 की रोकड़ बही विहित प्रपत्र पर तैयार नहीं की गई है। (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा अवधि 9/2006 से 3/2012 तक की आय के जो आकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं, उनमें निम्नानुसार विविध आय के रूप में ₹65711/- की प्राप्ति भी दर्शाई गई है।

वर्ष	विविध आय
2006-07	34300
2007-08	30590
2009-10	180
2010-11	641
योग	₹65711

अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 130/2015 दिनांक 12.8.2015 द्वारा (आर0एल0ए0) नादौन को विविध आय के स्रोत सूचित को करने बारे अनुरोध किया गया, परन्तु (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा चर्चा में बताया गया कि "सारथी" तथा "वाहन" शीर्ष में दर्शाई गई आय के अतिरिक्त जो राशि विविध आय के रूप में दर्शाई गई है, वह समय-समय पर हस्तगत रसीदों द्वारा प्राप्त की गई है, जिसका समस्त अभिलेख मूल रूप में उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में जमा करवा दिया गया है। अतः उक्त आय से सम्बन्धित मूल अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त (आर0एल0ए0) नादौन के अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों 12/2006, 7/2007 से सम्बन्धित आय की जांच भी उचित रूप से नहीं हो सकी, क्योंकि उक्त मासों में "सारथी" तथा "वाहन" शीर्षों में प्राप्त आय के अतिरिक्त अन्य राशियाँ भी बैंक में जमा करवाई गई थी, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। यहां यह भी वर्णित किया जाता है कि (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा प्रदान किए गए आय-व्यय के उक्त अवधि के वर्षवार आंकड़ों में भी विविध आय के रूप में राशि प्राप्ति की गई दर्शाई गई है। अतः इस अतिरिक्त जमा करवाई गई राशि बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।

6 रसीद बुकों का मुद्रण करवाने के पश्चात स्टॉक इन्द्राज न करना

संस्था द्वारा सेवा शुल्कों की प्राप्ति हेतु वाहन तथा सारथी सॉफ्टवेयर के लागू होने से पहले तथा बाद में भी शुल्कों को मुद्रित रसीदों द्वारा प्राप्त किया गया था, परन्तु संस्थान द्वारा मुद्रित करवाई गई इन रसीदों को भण्डार पंजिका में दर्ज नहीं किया गया और न ही इन्हें मूल रूप में जांच हेतु अंकक्षण में प्रस्तुत किया गया। चर्चा में बताया गया कि (आर0एल0ए0) कार्यालय द्वारा इन रसीदों को ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी केन्द्रीय ईकाई (हमीरपुर) के कार्यालय में जमा करवा दिया गया है। इस प्रकार अभिलेख के अभाव में आय की सही जांच नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके वांछित अभिलेख आगामी अंकक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

7 दैनिक संग्रह रजिस्टर (Daily Collection Register) का रख-रखाव न करना

अंकक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा दैनिक संग्रह रजिस्टर (Daily Collection Register) का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके अभाव में आय की सही प्रकार से जांच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त रजिस्टर यथाशीघ्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 राजकीय कोष में ₹462710/- कम जमा करवाया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 एफ0 (1) 3/2000 ई0 गवर्नेन्स दिनांक 3.9.2005 के पैरा 3 (बी) के अनुसार परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है, परन्तु जांच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा मास 10/2012 से ही कुल प्राप्त आय का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाना आरम्भ किया गया है तथा अवधि 9/2006 से 9/2012 तक की परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त आय की ₹1850840/- का 25 प्रतिशत भाग अर्थात् ₹462710/- को चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है। इस बारे अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 132/2015 दिनांक 12.8.2015 द्वारा आपत्ति उठाई गई। अतः ₹462710/- को चालान द्वारा राजकीय कोष में शीघ्र जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को यथासमय अवगत करवाया जाए।

वर्ष/अवधि	वाहन	सारथी	कुल आय
2006-07	25750	85850	111600
2007-08	79350	157680	237030
2008-09	99200	143230	242430
2009-10	129450	146560	276010
2010-11	161100	197870	358970
2011-12	186600	199230	385830
4/2012 से 9/2012	101020	137950	238970
		योग	1850840

9 मोबाईल चार्जिज के रूप में ₹47400/- का अनियमित भुगतान करना

सोसाईटी द्वारा सचिव (आर0एल0ए0) नादौन को अवधि 6/2008 से 3/2015 के दौरान ₹600 प्रतिमास की दर से ₹47400/- मोबाईल भत्ते के रूप में भुगतान किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ (1) 3/2000-ई गवर्नेन्स दिनांक 3.9.2005 में इस प्रकार के भुगतान का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त भुगतान के समर्थन में सम्बन्धित अधिकारियों से रसीदें भी प्राप्त नहीं की गईं, जिसके अभाव में भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹47400/- की वसूली उचित स्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए।

10 सोसाईटी द्वारा दी गई ऋण की ₹10000/- को वापिस प्राप्त न करना तथा ऋण रजिस्टर तैयार न करना

(क) श्रीमती नीलम कुमारी को वेतन का भुगतान करने हेतु चैक संख्या 931280 दिनांक 12.3.2015 द्वारा ऋण की ₹10000/- का भुगतान किया गया, जबकि श्रीमती नीलम कुमारी तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत है तथा अंकेक्षण अवधि 31.3.2015 तक यह राशि वापिस नहीं लौटाई गई, जिसकी वसूली यथा शीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा कई बार ऋण की राशि का भुगतान किया गया है, परन्तु राशि जारी करने तथा प्राप्त करने से सम्बन्धित ऋण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है, जिसे अविलम्ब तैयार किया जाए।

11 निविदाएं आमन्त्रित किए बिना क्रय करना

वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ₹3000/- तक की मदों का क्रय किया जा सकता है, जिसकी वित्तीय

वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा ₹50000/- होगी, परन्तु (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा इससे सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष के दौरान निविदाएं आमंत्रित किए बिना कुल कितना क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 97 (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिए गए हैं। अतः वांछित अभिलेख अब तैयार किए जाएं जिसकी भविष्य में भी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार भी विभागाध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति का गठन करके क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार के क्रय में समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत में प्रदत्त प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित होता है, परन्तु जांच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा उक्त नियमों के अनुसार भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही क्रय समिति से वांछित प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं। अतः इस प्रकार के समस्त क्रय बारे नियमानुसार अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट की जाए।

12 ई0—गवर्नेन्स सोसाईटी (हमीरपुर) केन्द्रीय ईकाई द्वारा जारी किए गए कम्प्यूटर एवं लेखन सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख/भण्डार रजिस्टर का रख रखाव न करना

ई—गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकरण (नादौन) के कार्यालय में केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त कम्प्यूटर तथा स्टेशनरी एवं अन्य मदों की भण्डार पंजिका उपलब्ध करवाने बारे अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 134/2015 दिनांक 17.8.2015 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु सोसाईटी द्वारा केन्द्रीय ईकाई से प्राप्त मदों की न तो सूची तैयार की गई और न ही भण्डार पंजिका अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाई गई। इस सन्दर्भ में वांछित कार्रवाई करके अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

13 भण्डार

(आर0एल0ए0) नादौन द्वारा उपभोज्य एवं अनुपभोज्य मदों का क्रय किया गया, परन्तु क्रय की गई मदों को भण्डार पंजिका में मदवार दर्ज न करके समस्त मदों को एक ही पृष्ठ पर दर्ज किया गया। उक्त अभिलेख के अभाव में एक निश्चित अवधि को किसी भी मद की बकाया मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि भण्डार पंजिका में प्रत्येक मद के अलग—2 पृष्ठ पर मदवार इन्द्राज करना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन

नियमानुसार भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष करना अनिवार्य है, परन्तु (आर0एल0ए0) नादौन द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। अतः उक्त

सन्दर्भ में वांछित कार्रवाई अब करके अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

15 विविध:-

केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से समय-2 पर ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) नादौन को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) नादौन से केन्द्रीय ईकाई को समय-2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया।

17 निष्कर्ष:- लेखाओं में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15) (xii) 55/2015 खण्ड-1-7-10 दिनांक, 2.1.16
शिमला-171009

- पंजीकृत:-** 1 उप मण्डल अधिकारी (आर0एल0ए0) नादौन जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2 जिलाधीश हमीरपुर जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला-03
4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला-02

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.